प्रा० पत्र दिनांक 13.3.2020 पर
प्रथम सुनवाई की गई। अप्रार्थी
दानमल के पुत्र घनश्याम के वकील
ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी दानमल
की मृत्यु दिनांक 14.11.1982 को हो
चुकी है। मृतक के विरुद्ध कोई कार्यवाही
पोषणीय नहीं रहती तथा मृतक के विरुद्ध
कोई भी आदेश नहीं किया जा सकता
है। अतः मृतक के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त
करने की कृपा करें।

अप्रार्थी के पुत्र द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न मृत्यु
प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया।
अप्रार्थी दानमल की मृत्यु दिनांक 14.11.82
को होना जाहिर है। तहसीलदार बिछीवाड़ा
द्वारा प्रकरण 2014 में प्रस्तुत किया गया
है जबकि अप्रार्थी की मृत्यु 14.11.82
को हो चुकी है। अतः तहसीलदार द्वारा
उक्त कार्यवाही मृतक दानमल के विरुद्ध
किया जाना प्रमाणित है। परिणाम स्वरूप
तहसीलदार बिछीवाड़ा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही
को अग्राह्य किया जाता है। यदि अप्रार्थी
मृतक के वारिस मुकाबिल द्वारा आवंटन
शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो
तहसीलदार उनके विरुद्ध नियमानुसार पृथक
से कार्यवाही प्रस्तुत करने के लिए
स्वतन्त्र होंगे। प्रा० पत्र फैसले में
शुमार हो। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय
की पत्रावली सहित वापिस लौटाई जावे।
पत्रावली बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि० 26/10/2020 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर